Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9| September 2025

Original Article

एक राष्ट्र, एक चुनाव

डॉ.चंद्रमणी का. भोवते
सहयोगी प्राध्यापक- राज्यशास्त्र स्व. निर्धन पाटील वाघाये कला महाविद्यालय एकोडी ता.साकोली,जि.भंडारा
Email: chandubhowate@gmail.com

Manuscript ID:
JRD -2025-170933
ISSN: 2230-9578
Volume 17
Issue 9
Pp. 186-189
September 2025

Submitted: 21 Aug. 2025
Revised: 1 Sept. 2025
Accepted: 20 Sept. 2025
Published: 30 Sept. 2025

सारांश

भारत में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिती की रिपोर्ट को 2024 में जारी किया गया था। रिपोर्ट ने एक साथ चुनाव के दृष्टीकोन को लागू करने के लिए एक व्यापक रुपरेखा प्रदान की। इसकी सिफारिशों को 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार किया गया, जो चुनाव सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इस तरह की प्रणाली प्रशासनिक दक्षता को बढा सकती है, चुनाव संबंधी खर्चो को कम कर सकती है और नीती संबंधी निरंतरता को बढावा दे सकती है। भारत में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उसके अनुकूल बनाने करने की आकांक्षाओं को देखते हुए "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा एक महत्वपूर्ण सुधार के रुप में उभरी है जिसके लिए गहन विचार-विमर्श और आम सहमति की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द :- *चुनाव, मतदाता, संविधान, राजनिती.*

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा भारत में नयी नही है। संविधान को अंगीकार किए जाने के बाद, 1951 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ आयोजित किए गए थे। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के पहले आम चुनाव 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। यह परंपरा इसके बाद 1957, 1962 और 1967 के तीन आम चुनावों के लिए भी जारी रही।

हालाँकि, कुछ राज्य विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के कारण 1968 और 1969 मे एक साथ चुनाव कराने में बाधा आयी थी । चौथी लोकसभा भी 1970 में समय से पहले भंग कर दी गई थी, फिर 1971 में नए चुनाव हुए। पहली, दुसरी और तिसरी लोकसभा नें पांच वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा किया। जबकि, आपातकाल की घोषणा के कारण पाचवी लोकसभा का कार्यकाल अनुच्छेद 352 के तहत 1977 तक बढा दिया गया था। इसके कुछ बाद ही, केवल आठवी, दसवी, चौदहवी और पंद्रहवी लोकसभाएं अपना पांच वर्षों का पूर्ण कार्यकाल पूरा कर सकी। जबकि छठी, सातवी, नौंवी, ग्यारहवी, बारहवीं और तेरहवीं सहित अन्य लोकसभाओं को समय से पहले भंग कर दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में राज्य विधानसभाओं को भी इसी तरह बाधाओं का सामना करना पडा है। विधानसभाओं को समय से पहले भंग किया जाना और कार्यकाल विस्तार बार-बार आनेवाली चुनौतियां बन गए है। इन घटनाक्रमों ने एक साथ चुनाव के चक्र को अत्यंत बाधित किया, जिसके कारण देश भर में चुनावी कार्यक्रमों में बदलाव का मौजूदा स्वरुप सामने आया है।

Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)
This is an open access journal, and articles are distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International Public License, which allows others to remix, tweak, and build upon the work noncommercially, as long as appropriate credit is given and the new creations ae licensed under the idential terms.

Address for correspondence:
डॉ. चंद्रमणी का. भोवते, सहयोगी प्राध्यापक- राज्यशास्त्र स्व. निर्धन पाटील वाघाये कला महाविद्यालय एकोडी ता. साकोली, जि. भंडारा

How to cite this article:
भोवते, . चंद्रमणी . का . (2025). एक राष्ट्र, एक चुनाव. Journal of Research and Development, 17(9), 186–189. https://doi.org/10.5281/zenodo.17471750

Quick Response Code:
Website: https://jrdrvb.org/
DOI: 10.5281/zenodo.17471750
OPEN ACCESS

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9| September 2025

विभिन्न लोक सभाओं की प्रमुख उपलब्धियों की समय-सीमा :

Lok Sabha	Last date of poll	Date ofConstitution of Lok Sabha	Date of first siting	Date of expiration of term (Article 83(2) of Constitution	Date of dissolation of Lok Sabha	Overall Term (in days col 6- col 4)	Overall Term (approx.)
1	2	3	4	5	6	7	8
First	21-Feb-52	2-Apr-52	13-May-52	12-May-57	4-Apr-57	1787	5 Year
Second	15-Mar-57	5-Apr-57	10-May-57	9-May-62	31-Mar-62	1786	5 Year
Third	25-Feb-62	2-Apr-62	16-Apr-62	15-Apr-67	3-Mar-67	1782	5 Year
Fourth	21-Feb-67	4-Mar-67	16-Mar-67	15-Mar-72	27-Dec-70	1382*	3 Years & 10 Months
Fifth	10-Mar-71	15-Mar-71	19-Mar-71	18-Mar-77	18-Jan-77	2132**	5 Years & 10 Months
Sixth	20-Mar-77	23-Mar-77	25-Mar-77	24-Mar-82	22-Aug-79	830*	2 Years & 5 Months
Seventh	6-Jan-80	10-Jan-80	21-Jan-80	20-Jan-85	31-Dec-84	1806	5 Years
Eighth	28-Dec-84	31-Dec-84	15-Jan-85	14-Jan-90	27-Nov-89	1777	5 Years
Ninth	26-Nov-89	2-Dec-89	18-Dec-89	17-Dec-94	13-Mar-91	450*	1 Year & 3 Months
Tenth	15-Jun-91	20-Jun-91	9-Jul-91	8-Jul-96	10-May-96	1767	5 Years
Eleventh	7-May-96	15-May-96	22-May-96	21-May-01	4-Dec-97	561*	1 Year & 6 Months
Twelth	7-Mar-98	10-Mar-98	23-Mar-98	22-Mar-03	26-Apr-99	399*	1 Year & 1 Month
Thirteenth	4-Oct-99	10-Oct-99	20-Oct-99	19-Oct-04	6-Feb-04	1570*	4 Year & 4 Months

मध्यावधि चुनाव हुए । चुनाव से पहले ही विघटन हो गया।
आपातकाल की घोषणा के कारण विस्तार।

एक साथ चुनाव कराने के संबंध में उच्च स्तरीय समिती

भारत सरकार ने 2 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने पर उच्च स्तरीय समिती का गठन किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश यह पता लगाना था की लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराना कितना उचित होगा। समिती ने इस मुद्दे पर व्यापक स्तर पर सार्वजनिक और राजनितीक प्रतिक्रियाएँ मांगी और इस प्रस्तावित चुनावी सुधार से जुडे संभावित लाभों और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श किया। यह रिपोर्ट समिती के निष्कर्षो, संवैधानिक संशोधनों के लिए इसकी सिफारिशों और शासन, संशाधनों तथा जन-मानस पर एक साथ चुनाव के अपेक्षित प्रभाव का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष

जनता की प्रतिक्रिया : समिती को 21,500 से अधिक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई, जिनमें से 80% एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में थी। प्रतिक्रियाएँ देश के सभी कोनों से आई, जिनमें लक्षद्विप, अंदमान और निकोबार, नागालँड, दादरा और नगर हवेली शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिक्रियाएँ तामिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तरप्रदेश से प्राप्त हुई।

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएँ : 47 राजनितिक दलों ने इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 32 दलों ने संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और सामाजिक सद्भाव जैसे लाभों का हवाला देते हुए एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। 15 दलों ने संभावित लोकतंत्र विरोधी प्रभावों और क्षेत्रीय दलों के हाशिए पर जाने से जुडी चिंताएँ व्यक्त की।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9| September 2025

विशेषज्ञ परामर्श : समिती ने भारत के पुर्व मुख्य न्यायाधीशों, पूर्व चुनाव आयुक्तों और विधी विशेषज्ञों से परामर्श किया। इनमें से अधिकाधिक लोगों ने एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा का समर्थन किया और बार-बार चुनाव कराने सें संशाधनों की बर्बादी तथा सामाजिक-आर्थिक बाधाओं पर जोर दिया।

आर्थिक प्रभाव : सीआईआई, फिक्की और एसोचैम जैसे व्यापारिक संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होने बार-बार चुनाव से जुडी समस्याओं और खर्च मे कमी लाकर आर्थिक स्थिरता पर इसके सकारात्मक प्रभाव को उजागर किया।

कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण : समिती ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 82ए और 324ए मे संशोधन का प्रस्ताव रखा है, ताकि लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानिक निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराए जा सकें।

कार्यान्वयन के लिए चरणबध्द दृष्टीकोन : समितीने एक साथ चुनाव की व्यवस्था दो चरणों मे लागू करने की सिफारिश की है।

चरण 1 – लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना।

चरण 2 – लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराना।

मतदाता सूची और इलेक्टॉनिक मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) एक साथ बनाने की प्रक्रिया : समिती ने राज्य चुनाव आयोगों द्वारा मतदाता सूची तैयार करने में उनकी अक्षमताओं को उजागर किया और सरकार के सभी तीन स्तरों के लिए एकल मतदाता सूची और एकल ईपीआईसी बनाने की सिफारीश की। इससे दोहराव और त्रृटियों में कमी आएगी, मतदाता अधिकारों की रक्षा होगी।

बार-बार चुनाव के बारे मे जन-भावना : जनता की प्रतिक्रियाओं से बार-बार चुनाव के नकारात्मक प्रभावों, जैसे मतदाताओं मे थकावट और शासन में व्यवधान, के बारे में उनकी महत्वपूर्ण चिंताओं का संकेत मिला। एक साथ चुनाव होने से इनमें कमी आने की उम्मीद है।

एक साथ चुनाव कराने का औचित्य

पूर्व राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्च स्तरीय समिती द्वारा जारी रिपोर्ट के निष्कर्षो पर आधारीत निम्नांकित बिंदु दृष्टव्य हैं।

शासन में निरंतरता को बढावा :- देश के विभिन्न भागों मे चल रहे चुनावों के कारण, राजनितिक दल, उनके नेता, विधायक तथा राज्य और केंद्र सरकारे अक्सर शासन को प्राथमिकता देने के बजाय आगामी चुनावों की तैयारी पर अपना ध्यान केंद्रित करते है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार का ध्यान विकासात्मक गतिविधीयों और जन कल्याण को बढावा देने के उद्देश्य से नितीयों के कार्यान्वयन पर केंद्रित होगा।

नितीगत निर्णय लेने मे देर नही होगी :- चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन से नियमित प्रशासनिक गतिविधीयाँ और विकास संबंधी पहल बाधित होती है। यह व्यवधान न केवल महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं की प्रगती में बाधा डालता है, बल्कि शासन संबंधी अनिश्चितता को भी जन्म देता है। एक साथ चुनाव कराने से आचार संहिता के लंबे समय तक लागू होने की संभावना कम होगी, जिससे नितीगत निर्णय लेने में देर नही होगी और शासन में निरंतरता संभव होगी।

संसाधनों को कहीं और इस्तेमाल नही किया जा सकेगा :- चुनाव ड्युटी के लिए बडी संख्या में कर्मियों की तैनाती, जैसे मतदान अधिकारी और सरकारी अधिकारीयों को उनकी मूल जिम्मेदारीयोंसे हटाकर चुनाव कार्यो में लगाना संसाधनों के उपयोग के दृष्टीकोन से महत्वपूर्ण है। एक साथ चुनाव आयोजित होने से, बार-बार तैनाती की आवश्यकता कम हो जाएगी, जिससे सरकारी अधिकारी और सरकारी संस्थाएँ चुनाव संबंधी कार्यो के बजाय अपनी प्राथमिक भूमिकाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगें।

क्षेत्रीय दलों की प्रासंगिकता बनी रहेगी :- एक साथ चुनाव कराने से क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम नही होती। वास्तव में, यह चुनावों के दौरान उनकी अधिक स्थानियकृत और केंद्रित भूमिका को प्रोत्साहीत करता है। इससे क्षेत्रीय दल अपनी अहम चिंताओं और आकांक्षाओं को उजागर कर पाते है। यह व्यवस्था एक जैसा राजनितीक माहौल बनाती है जिसमें स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय चुनाव अभियानों से प्रभावित नही होते, इस प्रकार क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने वालों की प्रासंगिकता बनी रहती है।

राजनितीक अवसरों में वृध्दि :- एक साथ चुनाव कराने से राजनितीक दलों मे अवसरों और जिम्मेदारीयों का न्यायोचित तरीके से आवंटन होता है। वर्तमान में, किसी पार्टी के भीतर कुछ नेताओं का चुनावी परिदृश्य पर हावी होना, कई स्तरों पर चुनाव लडना और प्रमुख पदों पर एकाधिकार असामान्य नही है। एक साथ चुनाव के परिदृश्य में, विभिन्न दलों का प्रतिनिधीत्व करने वाले राजनितीक कार्यकर्ताओं के बीच विविधता और समावेशिता की अधिक गुंजाईश होती है, जिससे नेताओं की एक विस्तृत श्रृंखला उभर कर सामने आती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अहम योगदान देती है।

Journal of Research and Development
Peer Reviewed International, Open Access Journal.
ISSN : 2230-9578 | Website: https://jrdrvb.org Volume-17, Issue-9| September 2025

शासन पर ध्यान :- देश भर मे चल रहे चुनावों का चल रहा चक्र सुशासन से ध्यान भटकाता है। राजनितीक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव-संबंधी गतिविधीयों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते है, जिससे विकास और आवश्यक शासन के लिए कम समय बचाता है। एक साथ चुनाव पार्टियों को मतदाताओं की जरुरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को समर्पित करने की अनुमति देते है, जिससे संघर्ष और आक्रामक प्रचार की घटनाओं में कमी आती है।

वित्तीय बोझ में कमी :- एक साथ चुनाव कराने से कई चुनाव चक्रों से जुडे वित्तीय खर्च मे काफी कमी आ सकती है। यह मॉडल प्रत्येक व्यक्तिगत चुनाव के लिए मानव-शक्ति, उपकरणों और सुरक्षा संबंधी संसाधनों की तैनाती से संबंधित व्यय को घटाता है। इससे होने वाले आर्थिक लाभों में संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन और बेहतर राजकोषीय प्रबंधन शामिल है, जो आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास के लिए अनुकूल वातावरण को बढावा देता है।

निष्कर्ष

पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक साथ चुनाव कराने के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिती ने भारत की चुनावी प्रक्रिया में एक क्रांतीकारी बदलाव की नींव रखी है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को एक साथ रखकर, समिती की सिफारिशे लगातार चुनावों से जुडी शासन में व्यवधान और संसाधनों की बर्बादी जैसी दिर्घकालीक चुनौतियों को दूर करने का आश्वासन देती है। संवैधानिक संशोधनों के साथ-साथ एक साथ चुनाव लागू करने के लिए प्रस्तावित चरणबध्द दृष्टिकोण भारत में अधिक कुशल और स्थिर चुनावी माहौल का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। व्यापक सार्वजनिक और राजनितीक समर्थन के साथ, एक साथ चुनाव की अवधारणा भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और शासन की दक्षता को बढाने के लिए तैयार है।

संदर्भ :-

1. https://once.gov.in/HLC-Report-en
2. https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/79th_Report.pdf
3. https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/simultaneous_elections/NITI_AYOG_REPORT_2017.pdf